

# सरदार पटेल की कर्म निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा

## राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लौह पुरुष को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली 31 अक्टूबर. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वीं जयंती पर शक्रवार को यहां पटेल चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

राष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अपने संदेश में कहा सरदार पटेल एक महान देशभक्त, दूरदर्शी नेता और राष्ट्र-निर्माता थे, जिन्होंने अपने अटूट संकल्प, अदम्य साहस और कुशल नेतृत्व से देश के एकीकरण का ऐतिहासिक कार्य किया.

उनकी कर्मनिष्ठा और राष्ट्रसेवा की भावना हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है. आइए, राष्ट्रीय एकता दिवस के



### कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से वंदन करता हूँ: शाह

शाह ने कहा राष्ट्रीय एकता, अखंडता और किसानों के सशक्तीकरण के प्रतीक लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल का उनकी जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से वंदन करता हूँ. सरदार साहब ने रियासतों का एकीकरण कर देश की एकता और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया व किसानों, पिछड़ों और वंचितों को सहकारिता से जोड़कर देश को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर किया उनका दृढ़ विश्वास था कि देश के विकास की धुरी किसानों की समृद्धि में निहित है.

अवसर पर हम सब एकजुट होकर, एक सशक्त, समरस और श्रेष्ठ भारत के निर्माण का संकल्प लें. वहीं अमित शाह ने सरदार पटेल की जयंती एकता दिवस के अवसर पर लोगों को देश की एकता और अखंडता के संकल्प को शपथ दिलाई और एकता दिवस दौड़ को झंडा दिखाकर रवाना किया. मुर्मु और शाह ने पटेल चौक स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

लखनऊ. सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में योगी ने जयंती पर आयोजित 'रन फॉर युनिटी' का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि भारत सब सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें हर उस शक्ति का विरोध करना चाहिए जो राष्ट्र की एकता को कमजोर करने का प्रयास करती है. उन्होंने कहा कि भारत की अखंडता और एकता के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया. उन लौह पुरुष सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके आदर्शों को अपने आचरण में उतारें. पटेल का जीवन, समर्पण और त्याग आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणास्रोत है.

### आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज क्रमंतजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.बी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.  
इंदौर शाखा: प्लॉट नंबर 4 एवं 5, डुकान नंबर 105, 107, 109, पहेली मंजिल, शेखर सेंटर, पलासिया स्वयंसेवा, मनोरमागंज, ए.बी. रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001



### आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिविल इंजीनियर एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंसियल एसेट्स एंड इन्फोर्सेमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग (इंफोर्सेमेंट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ संपादित धारा 13 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पूर्णभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओं/प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ता/राशि का पूर्णभुगतान करने में असफल रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग नियम 2002 के नियम 8 के साथ संपादित उपरोक्त कानून की धारा 13 के खंड-सर्वान (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ताओं/प्रतिभूतिकर्ताओं एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अचोहस्ताक्षरता के अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब खंड (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ता/ए ध्यान देते। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए, AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्र.	ऋणकर्ता(ओं)/प्रतिभूतिकर्ता(ओं) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 00300001386/ इन्दौर शाखा) गुरमीत सिंह छाबड़ा (ऋणी), गुरुचरण कौर छाबड़ा (सह-ऋणी) चरणजित सिंह (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प्लॉट नं. 3, प्लॉट नं. 46, सिंधु नगर कॉलोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश-452001, चतुर्सीमाएं:- पूर्व - अन्य मकान, पश्चिम - खुली जगह, उत्तर - मकान नं. 45, दक्षिण - सीढ़ियाँ एवं प्लॉट नं. 04	08-06-2018 एवं ₹ 10,05,755/-	29-10-2025

स्थान: मध्य प्रदेश  
दिनांक: 01-11-2025

### नगर पालिक निगम, इन्दौर

कार्यालय कार्यालय नगरी (जलप्रदाय) संधारण खंड क्रमांक-2, नर्मदा परियोजना मूसाखेड़ी, इन्दौर  
निविदा सूचना क्रमांक: 39/ E-mail: ee2\_narmada@rediffmail.com, Phone: 0731-2712846 इन्दौर  
2025-26/नर्मदा पर/न.पा.नि. दिनांक: 29.10.2025

निम्नलिखित कार्य के लिये निविदाएं 'निविदा प्रारूप पर' अंतिम उद्देश्य से, जो कि आवश्यक अर्हता रखते हों, से आमंत्रित की जाती है।

क्र.	कार्य का नाम	कार्य की समाप्ति एवं लागत	निविदा प्रारूप का मूल्य एवं EMD
01 प्रथम आमंत्रण	जोन क्रमांक-01 बाई क्रमांक-04 अंतर्गत आम्रकूट कॉलोनी, ऋषि शिक्षण संस्थान की गली में विधायक निधि के अंतर्गत शासकीय बोर्डिंग से 63 एम.ए. ब्यास की नवीन एच.डी.पी.ई. पाईप लाइन बिछाने एवं नल कनेक्शन करने का कार्य। (सम्पूर्ण सामग्री श्रेयस्व अनुसार)	1) 15 दिवस 2) ₹3,415/-	1) ₹1,668/- 2) ₹1,000/-
02 प्रथम आमंत्रण	जोन क्रमांक-01 बाई क्रमांक-04 अंतर्गत अखंड नगर में श्री शुभम सोलंकी जी की गली में पूर्व से खनिज शासकीय बोर्डिंग से 63 एम.ए.ब्यास की नवीन एच.डी.पी.ई. पाईप लाइन बिछाने एवं नल कनेक्शन करने का कार्य। (सम्पूर्ण सामग्री श्रेयस्व अनुसार)	1) 15 दिवस 2) ₹4,282/-	1) ₹1,668/- 2) ₹1,000/-

टिप्पणियाँ -  
• आवुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल म.प्र. द्वारा जारी सक्चुरल क्रमांक या.प्र./07/2013/3616 भोपाल दिनांक 22/5/2013 अनुसार निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त न्यूनतम निविदादाता को अनुबंध के साथ 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा करना अनिवार्य होगा।

- ई.पी.फ.फ. रजिस्ट्रेशन की जानकारी निविदा प्रारूप के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- टिप्पणियाँ -
- निविदा प्रारूप क्रय करने की अंतिम दिनांक 14.11.2025 सायं 05.30 बजे तक स्थान-कार्यालय, कार्यालय नगरी, (जलप्रदाय) संधारण खंड क्रमांक-2 नर्मदा परियोजना मूसाखेड़ी, इन्दौर।
- निविदा प्रारूप प्राप्त करने की दिनांक 17.11.2025 सायं 05.30 बजे तक स्थान-कार्यालय, कार्यालय नगरी, (जलप्रदाय) संधारण खंड क्रमांक-2 नर्मदा परियोजना मूसाखेड़ी, इन्दौर।
- निविदा प्रारूप खोलने की दिनांक 18.11.2025 दोपहर 03.00 बजे के पश्चात स्थान-कार्यालय, कार्यालय नगरी, (जलप्रदाय) संधारण खंड क्रमांक-2 नर्मदा परियोजना मूसाखेड़ी, इन्दौर के कक्ष में।
- निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में मूल एच.डी.आर. प्रस्तुत करना होगा।
- यह संक्षिप्त निविदा है, निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारियाँ अधोहस्ताक्षरता के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।
- ई.पी.फ.फ. कार्यालय में पंजीयन हेतु आवश्यक अर्हता रखने वाली फर्म/उद्देश्यदाता का पंजीयन होना आवश्यक है।
- डाक (पोस्ट) के माध्यम से निविदा विलंब से प्राप्त होने पर विभाग की कोई जवाबदारी नहीं होगी एवं निर्धारित दिनांक के बाद प्राप्त होने वाली निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

### आज का इतिहास

- 1755 पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भूकंप से 50 हजार से अधिक लोगों की मौत।
- 1765 ब्रिटेन के उपनिवेशों में स्टैम एक्ट लागू किया
- 1800 जॉन एडम्स काइट हाउस में रहने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने.
- 1858 भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के शासक के पास चला गया तथा गर्वनर-जनरल की जगह अब वायसराय की नियुक्ति की जाने लगी.
- 1881 कलकत्ता में ट्राम सेवा स्थालदाह तथा अर्मेनिया घाट के बीच शुरू हुई.
- 1913 - स्वतंत्रता सेनानी तारकनाथ दास ने कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर आंदोलन की शुरुआत की.
- 1922 - ओटोमन साम्राज्य का अंत कर दिया गया. उसके सुल्तान महमूद छह को बहिष्कृत कर दिया गया.

### IndusInd Bank

कार्पोरेट ऑफिस: इंडसइंड बैंक लिमिटेड, नं. 34, जी.एन. चेद्री रोड, चेन्नई-600017.  
www.indusind.com फोन: 0442834600 28346301, फेक्स: 04428346312

### ई-नीलामी सूचना

विषय: आरक्षितों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 संपादित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/9(1) के अंतर्गत अचल सुरक्षित परिसंपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता एवं सह-उधारकर्ता/जमानतदार को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका मौलिक कर्जा इंडसइंड बैंक लिमिटेड के सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, 'जहां है जैसी है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेची जाएगी। खाते का विवरण निम्नानुसार है।


क्र.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/जमानतदार का नाम	बकाया राशि	13(2) मांग सूचना की दिनांक	आधिपत्य की दिनांक	संपत्ति का विवरण	संपत्ति हेतु आरक्षित मूल्य	संपत्ति हेतु अंतिम जमा राशि	नीलामी की तिथि एवं समय
1.	ऋणी- श्री जसप्रीत सिंह पिता गुरनाम सिंह सह-ऋणी- श्रीमती ए.स. परमदीप कौर C/O दिवार सिंह सिद्ध सह-ऋणी- श्रीमती शरनजीत कौर C/O गोविंद सिंह, सभी का पता- 47, शंकरबाग कॉलोनी मरी माता चौराहा, इंदौर (म.प्र.) 452015 लोन नं. II05059M एच II05060M	₹ 43,80,478/- (रुपये तिरतालिस लाख असी हजार चार सौ अठतर मात्र)	14.08.2020	08.08.2022	सम्पत्ति: प्लॉट नं. जी-02, तल मंजिल, प्लॉट नं. 54, शंकर कुंज, गोपाल बाग कॉलोनी, इंदौर 452001 क्षेत्रफल- 1152 वर्ग फीट	₹ 37,37,145/- (रुपये सतीस लाख सतीस हजार एक सौ पैंतालीस मात्र)	₹ 3,73,715/- (रुपये तीन लाख तिरतालिस हजार सात सौ पन्द्रह मात्र)	18/11/2025, प्रातः 11 बजे से दोप. 2 बजे तक
2.	ऋणी- श्री मोहम्मद हुसैन खिलजी पिता बाबू खान खिलजी सह-ऋणी- श्रीमती आमरीन खिलजी पति मोहम्मद हुसैन खिलजी सभी का पता- 1531, गोकुल गंज, महु, इंदौर, (म.प्र.)- 453441 लोन नं. IAC05252M एवं IAC05253M	₹ 26,95,384/- (रुपये छब्बीस लाख पिचायनवह हजार तीन सौ चौरासी मात्र)	30.06.2021	19.10.2022	सम्पत्ति: मकान नं. बीएम 138, एमआईजी हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, वार्ड नं. 4, सेक्टर 1, पिथमपुर तहसील एवं जिला धार मध्य प्रदेश 454774 क्षेत्रफल-840 वर्ग फीट	₹ 25,41,294/- (रुपये पचीस लाख इकतालीस हजार दो सौ चौरानव मात्र)	₹ 2,54,129/- (रुपये दो लाख चौवन हजार एक सौ उन्तीस मात्र)	18/11/2025, प्रातः 11 बजे से दोप. 2 बजे तक

नियम एवं शर्तें:  
1. बोली दस्तावेज, घोषणा, ऑनलाईन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम एवं शर्तें सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी <https://www.indusind.com> या सेवा प्रदाता की वेबसाइट यानी <https://www.bankeaucions.com> पर उपलब्ध है।  
2. निविदा दस्तावेज जमा करने के साथ ही बोलीदाता को आरक्षित मूल्य की 10% राशि ईएमडी के रूप में जमा करनी होगी तथा ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 17.11.2025 को शाम 4:00 बजे तक है तथा न्यूनतम बोली वृद्धि राशि 10000/- (दस हजार रुपये) होगी। बैंक ने आरक्षित मूल्य तथा उक्त उल्लिखित बकाया राशि (ईएमडी) तय कर दी है, इसे इंडसइंड बैंक लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाएगा। संपत्ति के मूल्य: श्री राजीव चौकसे 8839904792  
3. सफल बोलीदाता बिक्री मूल्य का 25% (बोली के साथ पहले से भुगतान की गई 10% राशि घटाकर) का भुगतान और जमा करेगा, यानी खरीदार को ई-नीलामी की तिथि पर बिक्री की पुष्टि होने पर या अगले कार्य दिवस में शेष 15% का भुगतान करना होगा। इसके बाद बिक्री मूल्य की 75% शेष राशि सफल बोलीदाता को अग्रिम बिक्री पुष्टिपत्र की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करना आवश्यक है।  
4. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रक्रिया को स्थगित करने का पूर्ण अधिकार है।

दिनांक: 01.11.2025  
स्थान: मध्य प्रदेश  
ह/- प्राधिकृत अधिकारी  
इंडसइंड बैंक लिमिटेड

# फोरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी

सात राज्यों के लोगों से की गई धोखाधड़ी  
गोण्डा के सासद कौतवचन सिंह ने कहा- कार्रवाई होगी



गोण्डा, 31 अक्टूबर. गोण्डा के सांसद कौतवचन सिंह उर्फ राजा भैया ने 'फोरेक्स ट्रेडिंग' के नाम पर विदेश से भारत के सात राज्यों के पीड़ितों से की गई 1000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के हुये मामले में कार्यवाही की बात कही है। सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिये एक इंटरव्यू में कहा कि 'फोरेक्स ट्रेडिंग' घोटाले के मामले में अन्य राज्यों संग यूपी के देवीपाटन मंडल में भी ट्रेडिंग के नाम पर

धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी लविश चौधरी उर्फ नवाब के नेटवर्क की आशंका को लेकर उसके संपर्क में रहने वालों की सख्ती से पड़ताल कराकर कठोरतम कार्यवाही सम्बंधित जांच व सुरक्षा एजेंसियों से करायी जायेगी. मंत्री ने कहा कि जांच एजेंसियों के माध्यम से पता लगाया जाएगा कि इस मामले के संदिग्धों के आय का स्रोत क्या है और उनके पास धन कहाँ से आ रहा है।

कौतवचन सिंह ने दृढ़ता से कहा, हम इस पूरे मामले में लगे हैं और कठोर कार्रवाई करेंगे. हम गोण्डा को ठगी और लुटेरों का अड्डा नहीं बनने देंगे. इस बीच, देवीपाटन मंडल में बैठे शख्स की पहचान अभी तक उजागर नहीं हो पाई है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह कहाँ का रहने वाला है. अब तक केवल कुछ नाम ही सामने आये हैं, जिसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं. दरअसल, महाराष्ट्र के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में कई पीड़ितों ने ओवटाएफएक्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ शिकायत की थी.

### टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनोनसुला विजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर परेल, मुम्बई-400013.  
शाखा कार्यालय: 9/1/1, सूरज भवन, दूसरी मंजिल, येस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड, इन्दौर-452001

### अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) संपादित नियम 9(1) के तहत)  
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) संपादित नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित विषयी आरक्षितों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु 15 दिवसीय ई-नीलामी सूचना

एतद्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएफएफएल), को बंधक अधोलिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएफएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए 'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी है' आधार पर दिनांक 18-11-2025 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य और एरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थान / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 18-11-2025 को दोपहर 2:00 बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहबंद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड डाफ्ट टीसीएफएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 17-11-2025 को समय सायं 5.00 बजे तक शाखा कार्यालय: टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 9/1/1, सूरज भवन, द्वितीय तल, येस बैंक के ऊपर, एम. जी. रोड, इंदौर-452001 पर जमा किया जाना चाहिए। प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्र.	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(ओं)/सह-ऋणी(ओं)/कानूनी बालक(ओं)/जमानतदार(ों) के नाम	मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	बकाया राशि
1	9175788 & 9178508 & 9949493	श्रीमती मिनोक्षी बजाज, स्व. श्री लक्ष्मणदास बजाज की पत्नि एवं कानूनी उत्तराधिकारी श्री राजीव बजाज स्व. श्री लक्ष्मणदास बजाज के पुत्र एवं कानूनी उत्तराधिकारी	14/11/2025 (17:30)	₹ 18,28,823/- (रुपये अठारह लाख अठ्ठाईस हजार तेईस मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 9175788 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं ₹ 6,28,065/- (रुपये छः लाख अठ्ठाईस हजार पैंसठ मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 9178508 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं ₹ 12,40,726/- (रुपये बारह लाख चालिस हजार सात सौ छब्बीस मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 9949493 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं कुल ₹ 36,97,614/- (रुपये छत्तीस लाख सत्यानवह हजार छः सौ चौदह मात्र)	₹ 10,26,723/- (रुपये दस लाख छब्बीस हजार सात सौ तेईस मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 9178508 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं ₹ 20,34,519/- (रुपये बीस लाख चॉलिस हजार पांच सौ उन्तीस मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 9949493 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं ₹ 29,93,708/- (रुपये उनतीस लाख तिरावनह हजार सात सौ आठ मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 9175788 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं कुल ₹ 60,54,950/- (रुपये साठ लाख चौपन हजार नौ सौ पचास मात्र)
2	TCHHF064 300010025 0224	श्रीमती मंजू राठौड़ श्री राकेश राठौड़	21-11-2022	₹ 14,01,000/- (रुपये चौदह लाख एक हजार मात्र) अग्रिम जमा राशि (ईएमडी)- ₹ 1,40,100/- (रुपये एक लाख चालिस हजार एक सौ मात्र)	₹ 14,05,561/- (रुपये चौदह लाख पांच हजार पांच सौ इकसठ मात्र)

अचल संपत्ति का विवरण:- अचल संपत्ति के समस्त एवं शेष भाग, दूसरी मंजिल पर सुपर बिल्ड-अप क्षेत्र 1040.00 वर्गफीट या 96.85 वर्ग मीटर एक एफ की होल्ड आवासीय प्लॉट नंबर 202, जो 'कृष्णा कुंज' नामक बहुमंजिला इमारत/कॉम्प्लेक्स में स्थित है, जिसका निर्माण पत्तरीस कॉलोनी इंदौर जिला: इंदौर मध्य प्रदेश, प्लॉट नंबर 19 के उक्त-उप-परिचय ई-ओ (सामने की ओर) की भूमि पर किया गया है, चतुर्सीमा: पूर्व:- अन्य भूमि, पश्चिम:- प्लॉट नं. 201, उत्तर:- रोड, दक्षिण:- अन्य भूमि प्रकटीकरण:- सह-ऋणी द्वारा TCHFL के विरुद्ध दावर किया गया SA (SA/549/2024) DRT, जबकि उक्त के समक्ष लिखित है। उक्त मामले में TCHFL के विरुद्ध कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रस्तुत करने से पहले उचित सावधानी बरतें। नीलामी मुकदमे के परिणामों के अधीन होगी।

क्र.	श्रीमती मंजू राठौड़	श्री राकेश राठौड़	श्रीमती मंजू राठौड़	श्री राकेश राठौड़
₹ 18,28,823/- (रुपये अठारह लाख अठ्ठाईस हजार तेईस मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 9175788 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं कुल ₹ 36,97,614/- (रुपये छत्तीस लाख सत्यानवह हजार छः सौ चौदह मात्र)	₹ 14,01,000/- (रुपये चौदह लाख एक हजार मात्र) अग्रिम जमा राशि (ईएमडी)- ₹ 1,40,100/- (रुपये एक लाख चालिस हजार एक सौ मात्र)	₹ 14,05,561/- (रुपये चौदह लाख पांच हजार पांच सौ इकसठ मात्र)	₹ 14,01,000/- (रुपये चौदह लाख एक हजार मात्र) अग्रिम जमा राशि (ईएमडी)- ₹ 1,40,100/- (रुपये एक लाख चालिस हजार एक सौ मात्र)	₹ 14,05,561/- (रुपये चौदह लाख पांच हजार पांच सौ इकसठ मात्र)

अचल संपत्ति का विवरण:- उक्त अचल संपत्ति का संपूर्ण एवं शेष भाग मकान नं. 120, गरबा चौक, ग्राम शिवगढ़, तहसील सैलाना, जिला रतलाम - 47001, उक्त मकान का मूलतः ऊपर आरक्षित से बना है। कुल क्षेत्रफल 445.73 वर्ग फुट (41.42 वर्ग मीटर) है। चतुर्सीमा: पूर्व:- निकारास पर सड़क, रामरतन का मकान, उत्तर: शांतिबाई का मकान, दक्षिण: गली

नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालांकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेबी गार्ड अचल संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं लेना चाहिए, प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।

बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:  
कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल <https://BidDeal.in> के माध्यम से दिनांक 18-11-2025 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।

नियम और शर्तें: 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उदघोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी नुस्ती, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। 2. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि: ₹ 10,000/- (दस हजार मात्र) 4. संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएं 'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड डाफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। आरटीजीएस/ एनईफटी/ आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 5. उच्चतम बोलीकारी को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्त वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। 6. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। 7. संपत्ति की निरीक्षण दिनांक 10-11-2025 को सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक किया जा सकेगा। 8. खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति ई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। 9. उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी' को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। 10. उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति ई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जत हो जायेगी और चूककर्ता खरीदारों संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देंगे। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. को ज्ञात ऋणमारों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण-कोई नहीं, दावे, यदि कोई हैं, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हों और इनकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण: उपरोक्त तालिका के अनुसार। उपरोक्त अनुसूची के विवरण असफल इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि के सांविधिक देनदारियों क्षेत्रों सहित संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें। 12. अन्य किसी विवरण के लिए अथवा ई-नीलामी पर प्रक्रिया ऑनलाइन प्रदर्शित के लिए संपादित बोलीदाता सेवा प्रदाता, मेसर्स वेल्फू ट्रेड कैपिटल सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड, पता: बी-8-5 हेस्टिंग कॉलोनी, वीआईपी नगर, आनंदपुर, कोलकाता 700 100, अपने सम्बन्धकों, Auction.Manager@BidDeal.in के माध्यम से अथवा मनीष बंसल, ईम